ग्रामीण स्तर पर संचालित योजनाओं को ग्राम प्रधान पात्रों तक पहुंचाये –जिलाधिकारी

बुलन्दशहर (सू0वि0), 13 जून 2018

ग्राम स्तर पर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम प्रधानों की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है और ग्राम प्रधानों की सक्रिय भूमिका होने पर गांव का गरीब एवं निर्धन पात्र व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते है। यह उद्बोधन आज जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा द्वारा जिला पंचायत के सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ द्वीप प्रज्ज्वलित करने के उपरान्त उपस्थित ग्राम प्रधानों के मध्य व्यक्त किये। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत के सभागार में उपस्थित ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानों का यह नैतिक दायित्व होता है कि उनकी ग्राम पंचायत में कोई भी पात्र व्यक्ति शासकीय योजनाओं से वंचित न रहने पाये। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की पेंशन के पात्र लाभार्थी अभी भी लाभ से वंचित है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर ऐसे वंचित व्यक्तियों के आवेदन पत्र एकत्रित कर संबंधित विकास खण्ड स्तर पर अपलोड कराते हुए ऑनलाइन प्रेषित करायें जिससे ऐसे व्यक्तियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके।

उन्होंने ग्राम प्रधानों से कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामों में योजनाओं के क्रियान्वयन की पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुए जन–जन तक समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति तक किस तरह तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को गांव की जनता अपनी सेवा के लिए चुनती है और जिन लोगों द्वारा ग्राम प्रधानों को चुना गया है उन्हें शासन की योजनाओं से पूर्ण पारदर्शिता के साथ लाभान्वित करने का नैत्यिक दायित्व भी ग्राम प्रधानों का होता है। उन्होंने शासन की महत्त्वपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सर्वप्रथम गांव में लाभार्थियों को शौचालय निर्माण कराकर स्वच्छता का संदेश देकर जनपद को प्रत्येक दशा में 31 अगस्त 2018 तक खुले में शौच से मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि यह ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी है कि मानकों के अनुसार शौचालयों का निर्माण कराया जाये और निर्धारित धनराशि लाभार्थियों के सीधे खाते में प्रेषित की जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में लाभार्थी का आर्थिक शोषण न होने दिया जाये। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण में सोख्ता गड्ढा बनाया जाये जिससे मानकों का उल्लंघन न हो। उन्होंने यह भी सचेत किया कि यदि मानकों के अनुसार शौचालयों का निर्माण नहीं किया जाता है तो ऐसे ग्राम प्रधानों को विभिन्न प्रकार की जांचों से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निर्मित शौचालयों का प्रयोग आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधानों की है। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण ही नहीं यह व्यवहार परिवर्तन की योजना है। उन्होंने कहा कि योजना से लाभार्थियों का जुड़ाव आवश्यक है। जिलाधिकारी ने गांव में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी ग्राम प्रधानों को देते हुए कहा कि वर्षा से पूर्व प्रत्येक दशा में गांव के नाले एवं तालाबों की सफाई करा दी जाये जिससे गांव में गंदगी एवं जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के पास इस मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि सफाईकर्मियों का रोस्टर तैयार कर निर्धारित घण्टे सफाई कार्य कराया जाये। उन्होंने कहा कि यदि सफाई कार्य में जेसीबी या अन्य मजदूरों की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो ग्राम प्रधान इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उसका भुगतान ग्राम पंचायत से किया जाये। उन्होंने जनपद में घटते जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि जल संरक्षण के स्रोत नहीं बनाये गये तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि जल की

बर्बादी को रोका जाये तथा पर्यावरण की दृष्टि से वृहद स्तर पर पौधारोपण करते हुए रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाये।

जिलाधिकारी ने पोषण मिशन योजना के संबंध में कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की है। उन्होंने कहा कि अनटाइंड फण्ड का उपयोग कर सफाई एवं अन्य कार्य सुनिश्चित कराये जाये। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों से अपील की गई कि वह प्राथमिक विद्यालयों में गरीब बच्चों का नामांकन करायें जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकर से वंचित न रह पाये। उन्होंने ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते हुए कहा कि गावं की छोटी–छोटी समस्याओं में जैसे चकरोड, तालाब एवं नाली पर अतिक्रमण हटाये जाने के लिए उनके समक्ष आते हैं, इन समस्याओं का निस्तारण स्वयं ग्राम प्रधान को किया जाना है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि गांव में आपसी रंजिश के कारण जघन्य घटनायें घटित हो जाती है ओर ऐसी जानकारी प्रशासन के पास देरी से पहुंचती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ऐसी घटनाओं पर ग्राम प्रधान सतर्क नजर रखे और उसकी सूचना सीधे उन्हें प्रेषित की जाये जिससे छोटी घटना किसी बड़ी घटना का रूप न ले पाये उससे पहले उसका निस्तारण मौके पर कर दिया जाये।

इससे पूर्व मुख्य विकास अधिकारी सुश्री ईशा दुहन द्वारा प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली मे आयोजित कार्यशाला में उपस्थित ग्राम प्रधानों को शासन की महत्त्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधानों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देने की अपेक्षा की। उनके द्वारा बताया गया कि गांव में ग्राम चौपालों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है और चौपालों में समस्याओं का संज्ञान लेकर उनका निस्तारण भी संबंधित अधिकारियों से कराया जाता है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, हेण्डपंपों की स्थापना एवं उनको रिबोर कराये जाने के कार्यो की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट किया जाना भी आवश्यक है अतः ग्राम प्रधान इस पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करें। कार्यशाला में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, सभी प्रकार की पेंशन, महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं, दिव्यांजन सशक्तीकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सहकारिता विभाग की संचालित योजनाओं तथा उद्यान विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाओं सहित पशुपालन विभाग के साथ–साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा, टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय अंधता निवारण, एम्बुलेंस सेवाओं एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं में ग्राम प्रधानों की भूमिका एवं कार्यो की विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम प्रधानों को दी गई।

कार्यशाला का संचालन डीपीआरओ श्री अमरजीत सिंह द्वारा किया गया। आज की कार्यशाला में दोनों पालियों में जनपद के 8 विकास खण्डों के ग्राम प्रधानों सहित योजनाओं से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

————————————————————————————जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा जारी